प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.06.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 13.06.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक वाहन चोर अभियुक्त पप्पु कुमार पुत्र उत्तमचन्द निवासी- गली नं0-13 चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र-26 वर्ष को संत नगर डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई । बरामदशुदा मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर मु0अ0सं0 0231/25 धारा 303(2) बीएनएस पूर्व से पंजीकृत है । मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल मैंने कुछ दिन पहले जिन्दल रोड डीएलएफ से चोरी की थी और आज मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था कि पुलिस चैकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

पप्पु कुमार पुत्र उत्तमचन्द निवासी- गली नं0-13 चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र-26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर एनडीपीएस एक्ट एवं वाहन चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना अंकुर विहार पर वाहन चोरी/बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 16 मोबाइल फोन, चोरी की मोटर साईकिल व 2000/- रुपये बरामद

दिनांक 12.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रामलीला मैदान के गेट न0- 02 के पास से 02 अभियुक्त 1- अयूब पुत्र जहीर निवासी वार्ड न0 3 मोहल्ला वाजीगरान डासना थाना वैव सिटी गाजियाबाद, 2-शहनवाज पुत्र सलीम वाड़ न0 3 मुहल्ला वाजीगरान डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 16 मोबाइल फोन, चोरी की मोटर साईकिल व 2000 रुपये बरामद हुए है । अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ पर बताया कि को हम दोनो ने यह मोटर साईकिल विजय नगर क्षेत्र से मोबाइल छीनने व मोबाइल चोरी करने के लिये चोरी की थी यह बरामद सभी मोबाइल हम दोनो ने अलग अलग जगह से नवयुग मार्केट व नया बस अड्डा शहीद स्थल मैट्रो स्टेशन ट्रेन से भी चोरी/छीने व अन्य जगहों से चोरी किये थे। आज हम इन मोबाइलों को चलते फिरते व्यक्तियों को स्टेशन के पास बेचने के लिये जा रहे थे इससे पहले भी हम लोग कई मोबाइल बेच चुके है ।

नाम पता अभियुक्त

1- अयूब पुत्र जहीर निवासी वार्ड न0 3 मोहल्ला वाजीगरान डासना थाना वैव सिटी उम्र 23 वर्ष
2- शहनवाज पुत्र सलीम वाड़ न0 3 मुहल्ला वाजीगरान डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी-

1- 16 मोबाइल फोन
2- 01 मोटर साईकिल
3- 2000/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 13.06.2025 को वादी सचिव ग्राम पचांयत मौहद्दीनपुर ढबारसी विकास खण्ड रजापुर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि ग्राम ढबारसी में सार्वजनिक सरकारी कच्चे रास्ते का निर्माण कर बनी नाली को खुर्द बुर्द कर नाला खोद दिया गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर तत्काल मु0अ0सं0 173/25 धारा 326(b) बीएनएस एवं 2/3 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम बनाम वाशिद प्रधान पुत्र शुक्कन निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद आदि 06 नफर अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत

किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अपराधी वाशिद प्रधान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चचात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वाशिद प्रधान पुत्र शुक्कन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वाशिद पुत्र शुक्कन पर थाना मसूरी, कविनगर गाजियाबाद व गढमुक्तेश्वर, पिलखुआ जनपद हापुड में लगभग एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है, अभियुक्त वाशिद उपरोक्त थाना मसूरी का हिस्ट्रीशीटर भी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

वाशिद प्रधान पुत्र शुक्कन नि0 ग्राम मौहद्दीनपुर ढबासरी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 47 वर्ष।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे व मेरे साथियो द्वारा बिना अनुमति व बिना सम्बन्धित विभाग के चोरी-छिपे ग्राम मौहद्दीनपुर ढबारसी मे स्थित एक कच्चे रास्ते को जेसीबी द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, बलवा एवं 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत थाना मसूरी पर 15 अभियोग, कविनगर में 01 अभियोग एवं थाना गढमुक्तेश्वर, पिलखुआ जनपद हापुड में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में बेहटा नहर के पास एक सूटकेस में अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना में वांछित 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 10.06.2025 की सुबह को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बेहटा नहर के पास एक हरे रंग के सूटकेस में अज्ञात महिला के शव मिलने के सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर वादी द्वारा एक किता तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना लोनी बोर्डर पर मु0अ0सं0 370/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया एवं अज्ञात शव की शिनाख्त हेतु दिल्ली के सीमावर्ती थानों एवं आस-पास के थानों में गश्ती तलाश जारी कर शिनाख्त का प्रयास किया गया एवं डीसीआरबी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त हेतु प्रयास किये गये। गठित टीमों द्वारा स्थानीय सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल इनपुट व अन्य सम्भावित सोर्सो की मदद ली गयी। दिनांक 12.06.25 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस को सफलता हाथ लगी एवं उक्त अज्ञात घटना का सफल अनावरण कर अज्ञात महिला की शिनाख्त श्रीमती कविता पत्नी सागर नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष के रुप में हुई एवं उक्त महिला की हत्या कारित करने वाले 03 अभि0गणों 1. हरवीर सिंह पुत्र सेठराम नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीव 52 वर्ष 2. सुमित पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष 3.गुड्डू पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र 18 वर्ष को दिनांक 12.06.25 को गिरफ्तार

किया जा चुका है। विवेचना के दौरान अभियुक्त सागर पुत्र हरवीर, विमलेश पत्नी हरवीर सिंह, शिवानी पुत्री हरवीर सिंह, करन पुत्र हरवीर सिंह के नाम प्रकाश में आये एवं धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। आज दिनांक 13.06.25 को पूर्व की घटना में वांछित चल रहे अभि0गण 1. सागर पुत्र हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीव 22 वर्ष 2. विमलेश पत्नी हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीव 48 वर्ष 3.शिवानी पुत्री हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीव 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वांछित करन पुत्र हरवीर नि0 उपरोक्त अभी फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठन की गयी है। जल्द ही गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका कविता की सागर से लव मैरिज हुई थी तभी से कविता आये दिन हम लोगों को छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान करती रहती थी काफी समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया हम उसकी रोज-रोज की लड़ाई झगडे से परेशान हो चुके थे और हम इसकी हरकतों से परेशान आकर छुटकारा पाना चाहते थे तभी हम परिवार वालों ने एक षडयंत्र करके इसकी हत्या कर दी और षडयंत्र के तहत दिनांक 09.06.25 को कविता का झगड़ा सुमित के साथ हो गया था सुमित ने कविता को धक्का मारकर बैड पर गिरा दिया और कविता की गर्दन सुमित ने चुन्नी से दबा दी थी और जिस बैडशीट से सूटकेस बांधा था उसी बैडशीट को मृतका के मुंह पर रखकर दम घोंट दिया था और पिता हरवीर ने आकर कविता के पैर पकड कर दबा लिये थे, जब तक वह मर नहीं गयी तब तक सुमित उसकी गर्दन दबाता रहा था उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए शिवानी ने मोटरसाईकिल का इंतजाम किया था उसी मोटरसाईकिल पर रखकर पिता हरवीर व गुड्डू सूटकेस में कविता की लाश को ले गये थे। उस समय शिवानी व भाई करन घर पर ही मौजूद थे। भाई सागर व माता विमलेश देवी ईंट के भट्टे खड़खड़ी में काम कर रहे थे और लगातार सभी लोग सम्पर्क में थे। कविता की लाश को ठिकाने लगाने के बाद हम लोग सागर के पास उसकी बेटी को लेकर भट्टे पर चले गये थे एवं सागर व माता विमलेश को सारी बात बतायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सागर पुत्र हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीब 22 वर्ष (मृतका का पति)

2. विमलेश पत्नी हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीब 48 वर्ष (मृतका की सास)

3. शिवानी पुत्री हरवीर सिंह निवासी नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष (मृतका की ननद)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार कब्जे से दो लेपटॉप ,दो मोबाइल ,एक मास्क व आपत्तिजनक वस्तुएँ बरामद

दिनांक 11/06/2025 को काल सेंटर की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए एक टीम ने महादेव होटल बजरिया थाना कोतवाली क्षेत्र से तीन लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि मोहित और एक युवती ने पति पत्नी के रूप में होटल में कमरा बुक कराया था। वहीं पर एक तीसरी युवती के साथ मिलकर ये लोग www.stripchat.com वेबसाइट पर अश्लीलता फैला रहे थे तथा अश्लील चैट कर लोगों से पैसे प्राप्त कर रहे थे। ऑनलाइन अश्लीलता फैलाने के अपराध में मोहित s/o अजय कुमार तथा दो युवतियाँ निवासीगण विजय नगर गाजियाबाद के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 67 आईटी एक्ट का दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई। मुख्य अभियुक्त अनुज त्यागी निवासी पंचशील नगर की तलाश की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका

इन्टरनेट का प्रयोग कर ऑनलाइन वेबसाइट www.stripchat.com के माध्यम से वीडियो काल के जरिए कपड़े उतार कर अश्लील हरकते कर समाज में अश्लीलता फैलाना तथा लोगों को अश्लील हरकत करने के लिये प्रलोभित करना।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त गण द्वारा बताया कि वे अपने सहयोगियो के साथ मिलकर लड़कियों की www.stripchat.com वेबसाइट पर आई डी बना कर होटलों में कमरा किराये पर ले कर www.stripchat.com वेबसाइट के माध्यम से वीडियो काल पर अश्लील हरकत करने व लोगो को अश्लील हरकत करके सेक्स के लिए प्रलोभित कर लोगों से रुपये अपने खाते में डलवाते हैं। युवतियो ने पूछताछ में बताया कि उपरोक्त काम के लिए 20000 से 25000 रुपये महीने अनुज त्यागी हमे देता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मोहित पुत्र अजय कुमार निवासी 452 रोजी कॉलोनी विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा स्नातक
2. अन्य युवतियाँ उम्र- 20 वर्ष व 24 वर्ष - शिक्षा स्नातक

बरामदगी का विवरण -

दो लेपटॉप ,दो मोबाइल ,एक मास्क ,02 आपत्तिजनक वस्तुएं

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।